प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थाना:- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 225/23 दिनांक 22/8/2023

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) 2018, धारा:-7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः- ------------------------------

(3) अधिनियम ------------------------------------ धारायेः---------------------------------

(4) अन्य अधिनियम व धारायेः- --

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 432 समय 8:00 pm

(ब) अपराध के घटने का दिनः- सोमवार, दिनांक 21.08.2023 समय 02.17 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 17.08.2023 समय 04.15 पी.एम.

4. सूचना की किस्मः- लिखित

5. घटनास्थलः-

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- चौकी से बदिश उत्तर, बफासला करीबन 70 किलोमीटर दूर

(ब) पताः- बालोतरा बस स्टेशन चौराया समदड़ी से रेल्वे स्टेशन समदड़ी की तरफ जाने वाली रोड़, समदड़ी जिला बालोतरा।

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तोः- नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्ताः-

(अ) नामः- श्री नरेश कुमार

(ब) पिता का नामः- श्री गोपाराम

(स) जन्मतिथि/वर्षः- उम्र 32 वर्ष

(द) राष्ट्रीयताः- भारतीय

(य) पाटपोर्ट संख्याः--------नहीं----------------- जारी होने की तिथी ------नहीं------------- (र) व्यवसायः- टेन्ट कार्य

(ल) पताः- ग्राम अम्बों का बाड़ा, पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा, मो.नं. 9610190482

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहितः-

01. श्री विजय कुमार माली पुत्र श्री शंकरलाल माली, जाति माली, उम्र 50 साल, निवासी गोर का चौक, समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः- कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयांः---

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः- ट्रेप राशि 10,000/- रुपये

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ---

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ---

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जालोर।

विषय- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी नरेश कुमार देवासी, ग्राम अम्बों का बाड़ा, तहसील समदड़ी का रहने वाला हूं। मेरे स्वयं के महादेव टेन्ट हाऊस बस स्टेण्ड लाखेटा (कोटड़ी) जिला बाड़मेर के नाम से फर्म है। उक्त फर्म से शादी, पार्टी, प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अन्य धार्मिक पर्व पर टेन्ट लगाने एवं रसोई इत्यादी संबंधि कार्य करता हुं। ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी जिला बाड़मेर के आदेशानुसार मैंने वित्तिय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में मरिजों को कॉरटाईन में रखने हेतु मेरी फर्म से टेन्ट व्यवस्था, जल, बर्तन बिस्तर, पंलग, पानी का केम्पर, भट्टी ट्रेक्टर इत्यादी की व्यवस्था की गई थी। जिसके बिल की राशी करीब 1,40,000 रुपये अक्षरे एक लाख चालीस हजार रुपये के बिल वॉउचर तैयार कर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा में पेश किये थे। मुझे समय-समय पर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा से भुगतान पेटे दस हजार रुपये जरिए चैक तथा बीस हजार मेरे बैंक खाते में जमा करना तथा तीस हजार रुपये बैंक खाते में कुल साठ हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान अस्सी हजार रुपये का भुगतान करने हेतु मैं श्री विजय कुमार जी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा मुझे बार बार चक्कर कटवा रहा है तथा मेरी शेष राशी का भुगतान नहीं कर रहा है। मैं आज से करीब 10-15 दिन पहले श्री विजय कुमार जी से मिला तथा मेरे शेष भुगतान करने हेतु कहा गया तो उन्होने मेरे शेष भुगतान की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांग की। मैं मेरे वाजिब काम के एवज में दस हजार रुपये श्री विजय कुमार जी ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं तथा विजय कुमार जी को दस हजार रूपये लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे तथा विजय कुमार जी के बीच में किसी प्रकार कोई रुपये पैसों का लेन देन बकाया नहीं है तथा न ही किसी प्रकार की कोई रंजिश वगैरह है।

रिपोर्ट पेश करता हूं कि कार्यवाही करवाए।

दिनांक- 17.08.2023

प्रार्थी

एसडी/-

(नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाराम)

जाति देवासी, निवासी ग्राम अम्बों का बाड़ा

तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा

मो.नं. 9610190482

कार्यवाही पुलिस

दिनाँक 17.08.2023 को समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाराम, जाति देवासी, निवासी ग्राम अम्बों का बाड़ा, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा, मो.नं. 9610190482 ने एक टाईप-शुदा रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जालोर के समक्ष इस आश्य कि प्रस्तुत की कि मैं प्रार्थी नरेश कुमार देवासी, ग्राम अम्बों का बाड़ा, तहसील समदड़ी का रहने वाला हूं। मेरे स्वयं के महादेव टेन्ट हाऊस बस स्टेण्ड लाखेटा (कोटड़ी) जिला बाड़मेर के नाम से फर्म है। उक्त फर्म से शादी, पार्टी, प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अन्य धार्मिक पर्व पर टेन्ट लगाने एवं रसोई इत्यादी संबंधि कार्य करता हुं। ग्राम पंचायत अम्बां का बाड़ा पं.सं. समदड़ी जिला बाड़मेर के आदेशानुसार मैंने वित्तिय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में मरिजों को कॉरटाईन में रखने हेतु मेरी फर्म से टेन्ट व्यवस्था, जल, बर्तन बिस्तर, पंलग, पानी का केम्पर, भट्टी ट्रेक्टर इत्यादी की व्यवस्था की गई थी। जिसके बिल की

राशी करीब 1,40,000 रुपये अक्षरे एक लाख चालीस हजार रुपये के बिल वॉउचर तैयार कर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा में पेश किये थे। मुझे समय-समय पर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा से भुगतान पेटे दस हजार रुपये जरिए चैक तथा बीस हजार मेरे बैंक खाते में जमा करना तथा तीस हजार रुपये बैंक खाते में कुल साठ हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान अस्सी हजार रुपये का भुगतान करने हेतु मैं श्री विजय कुमार जी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा मुझे बार बार चक्कर कटवा रहा है तथा मेरी शेष राशी का भुगतान नहीं कर रहा है। मैं आज से करीब 10-15 दिन पहले श्री विजय कुमार जी से मिला तथा मेरे शेष भुगतान करने हेतु कहा गया तो उन्होने मेरे शेष भुगतान की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांग की । मैं मेरे वाजिब काम के एवज में दस हजार रुपये श्री विजय कुमार जी ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं तथा विजय कुमार जी को दस हजार रूपये लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे तथा विजय कुमार जी के बीच में किसी प्रकार कोई रुपये पैसों का लेन देन बकाया नहीं है तथा न ही किसी प्रकार की कोई रंजिश वगैरह है। परिवादी श्री नरेश कुमार ने उक्त रिपोर्ट अपने परिचित से लिखवा कर लाना, रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आना पाया जाता है। प्रथमतः रिश्वत में राशी की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात समय 04.45 पी.एम. पर डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार का एवं मन् निरीक्षक पुलिस का आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मन् अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रदान किए गए।

तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री नरेश कुमार के कार्यालय कक्ष में पहुंचे परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री नरेश कुमार ने उपरोक्त रिपोर्ट अपने परिचित से लिखावाना एवं रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री नरेश कुमार से विस्तृत पुछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि वित्तिय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में मरिजों को कॉरटाईन में रखने हेतु मेरी फर्म महादेव टेन्ट हाऊस बस स्टेण्ड लाखेटा (कोटड़ी) जिला बाड़मेर से टेन्ट व्यवस्था, जल, बर्तन बिस्तर, पंलग, पानी का केम्पर, भट्टी ट्रेक्टर इत्यादी की व्यवस्था की गई थी। जिसके बिल की राशी करीब 1,40,000 रुपये अक्षरे एक लाख चालीस हजार रुपये के बिल वॉउचर तैयार कर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा में पेश किये थे। मुझे समय-समय पर ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा से भुगतान पेटे दस हजार रुपये जरिए चैक तथा बीस हजार मेरे बैंक खाते में जमा करना तथा तीस हजार रुपये बैंक खाते में कुल साठ हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान अस्सी हजार रुपये का भुगतान करने हेतु श्री विजय कुमार जी ग्राम विकास अधिकारी शेष भुगतान की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आना पाया जाता जाने से रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री गुलाब सिंह कानि. 140 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार का परस्पर परिचय करवाया गया तथा मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान करवाया गया।

तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजीटल टेपरिकार्डर मंगवाया जाकर, खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकॉर्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री नरेश कुमार को चलाने की समझाईश की गई। तत्पश्चात डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री

गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को सुपुर्द कर परिवादी श्री नरेश कुमार के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर समदड़ी की तरफ रवाना किया गया।

दिनांक 18.08.2023 को समय 06.00 पी.एम. पर दिनांक 17.08.2023 को रवाना सुदा श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय परिवादी श्री नरेश कुमार के कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। श्री गुलाबसिंह कानि. 140 ने डिजीटल टेप रिकार्डर बंद हालात में मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि कार्यालय हाजा से मय परिवादी के दिनांक 17.08.2023 को रवाना होकर समदड़ी पहूंच परिवादी श्री नरेश कुमार ने अपने स्तर पर संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के उपस्थिति बाबत् जानकारी प्राप्त की तो श्री विजय कुमार अपने निवास स्थान पर जाना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् कानि. मय परिवादी श्री नरेश कुमार के रवाना होकर परिवादी के निवास स्थान ग्राम अम्बों का बाड़ा पहुंच रात्री मुकीम रहा। आज दिनांक 18.08.2023 को मन् कानि. मय परिवादी श्री नरेश कुमार ग्राम अम्बों का बाड़ा से रवाना होकर समदड़ी पहुंचे। परिवादी श्री नरेश कुमार ने अपने स्तर पर संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के उपस्थिति बाबत् जानकारी प्राप्त की तो बाद इंतजार उपरान्त संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति समदड़ी के कार्यालय में होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर करीब 11:45 एएम पर मन् कानि. ने परिवादी श्री नरेश कुमार को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी से अपने पैंडिंग बिलों का भुगतान संबंधित वार्ता कर वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु पंचायत समिति समदड़ी के लिए रवाना किया। मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए पंचायत समिति के आस-पास उपस्थित रह कर परिवादी के आने के इन्तजार में व्यस्त रहा। करीब एक-सवा एक घण्टे पश्चात परिवादी परिवादी श्री नरेश कुमार पंचायत समिति समदड़ी से रवाना होकर निर्धारित स्थान पर मन् कानि. के पास पहूंचा जिस पर मन् कानि. ने पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्ड परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया कि रवाना होकर संदिग्ध श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा कार्यालय पंचायत समिति समदड़ी में उपस्थित मिला। जिस पर मैंने मेरे फर्म महादेव टेन्ट हाउस बस स्टेण्ड लाखेटा जिला बाड़मेर के बाकाया बिलों का भुगतान करने हेतु वार्ता की तो ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार ने वार्ता के दौरान बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में मेरे से 10,000 रूपये मीठाई के नाम पर मांग करना तथा उक्त राशी सोमवार को देना तय होना आदि वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित परिवादी से मांग सत्यापन के हालात पुछे तो परिवादी ने कानि. श्री गुलाबसिंह के कथनों की ताईद करते हुए उपरोक्त हालात बताये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर उसमें रिकार्ड सुदा वार्ता को सुना तो श्री गुलाबसिंह कानि. 140 व परिवादी श्री नरेश कुमार के कथनों की ताईद होकर उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना तथा रिश्वती राशी दस हजार रूपये की मांग पुष्टी होना पाई गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अलमारी में सुरक्षित रखा, वार्तालाप की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रुपये की व्यवस्था होने पर राशि लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने तथा प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर तथा रुकस्त किया गया।

तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय ब्यूरो जाब्ता के कार्यालय हाजा में उपस्थित हुं। परिवादी श्री नरेश कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बाताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ में लाया हुं। जिस पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इस कार्यालय के प्रत्रांक 1382 दिनांक 21.08.23 के श्रीमान समाज कल्याण अधिकारी जालौर को ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु तेहरीर श्री कालूराम कानि. 447 को सुपुर्द कर कार्यालय समाज कल्याण विभाग जालौर के लिए रवाना किया।

तत्पश्चात समय 09.45 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त का रवाना सुदा श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय गवाहान क्रमशः श्री दिलीप कुमार वरिष्ठ सहायक तथा श्री हीरालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए। मन् निरीक्षक पुलिस ने दोनों गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो क्रमशः श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, उम्र 37 साल, जाति मेवाड़ा कलाल, निवासी वार्ड सं. 4, सेला गेट बाली, पुलिस थाना बाली, जिला पाली, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यलय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर, मोबाईल नंबर 7568276622श्री हीरालाल पुत्र श्री छोगाराम, उम्र 58 साल, जाति भील, निवासी आलवाड़ा, पुलिस थाना सायला, जिला जालोर, हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यलय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर, मोबाईल नंबर 9571516273 होना बताया तथा दोनों गवाहन के उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार से दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 17.08.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया एवं दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री नरेश कुमार तथा संदिग्ध श्री विजय कुमार पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को सुनाया गया जिस पर वार्तालाप के मुख्यांश सुनने के पश्चात दोनो गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर।

तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवान की उपस्थिति में मन् अरविन्द कुमार की उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार को आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी, जिला बालोतरा को रिश्वत में दी जाने वाली राशी प्रस्तुत करने का कहा तो परिवादी श्री नरेश कुमार ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये अपने पास से निकाल कर पेश किए। प्रस्तुत प्रत्येक नोट के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाई जाकर कार्यालय हाजा के मालखान से फिलोपथ्लीन पाउडर की शिशि श्री गुलाब सिंह कानि. नं. 140 से मंगाई जाकर उपरोक्त राशी के सभी नोटों को एक अख़बार पर रखवाई जाकर राशी के प्रत्येक नोट पर फिलोपथ्लीन पाउडर लगाया गया। सोडियम कार्बोनेट तथा फिलोपथ्लीन पाउडर की उपयोगिता के बारे में दृष्टांत देकर समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री दिलीप कुमार वरिष्ठ सहायक से लिरवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु व दस्तावेज इत्यादी रहने दिए जाकर फिलोपथ्लीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10,000 रूपये परिवादी के पहने हुए शर्ट की बांयी जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को छुए नहीं तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोडकर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री नरेश कुमार को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फैर कर या मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस के मोबाईल 9413101593 पर कॉल या मिस-कॉल कर या ट्रेप-दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। जाब्ता की कमी होने से रिश्वत में दि जाने वाली राशी के नोटों पर फिनोफथ्लीन पाउडर लगाने वाले कानि. गुलाब सिंह 140 को यह निर्देश दिए जाकर ट्रेप पार्टी में शामिल किया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान पृथक रहे। परिवादी, गवाहन एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत दी जाकद फर्द पेशकशी रिश्वत में दि जाने वाली राशी एवं दृष्टांत फिनोफथ्लीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण उक्त फर्द में दर्ज है।

तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी श्री नरेश कुमार, स्वतंत्र गवाहन श्री दिलीप कुमार व श्री हीरालाल एवं ब्यूरो जब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि. 93, श्री सुखाराम हैड कानि. 96, श्री विक्रसिंह कानि. 556, श्री गुलाब सिंह कानि. 140, श्री कालूराम कानि. 447 मय ट्रेप बॉक्स व आश्यक सामग्री डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 युई 0818

व चालक श्री जयराम कानि. 83 तथा निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि. ब्यूरो जालौर से समदड़ी की तरफ रवाना हुए।

तत्पश्चात समय 12.30 पी.एम.पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी श्री नरेश कुमार, स्वतंत्र गवाहन श्री दिलीप कुमार व श्री हीरालाल एवं ब्यूरो जब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि. 93, श्री सुखाराम हैड कानि. 96, श्री विक्रसिंह कानि. 556, श्री गुलाब सिंह कानि. 140, श्री कालूराम कानि. 447 मय ट्रेप बॉक्स व आश्यक सामग्री डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 युई 0818 व चालक श्री जयराम कानि. 83 तथा निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु समदड़ी पहुंचे। इसी दौरान आरोपी श्री विजय कुमार के मोबाईल नम्बर 8094240540 से परिवादी श्री नरेश कुमार के मो.नं. 9610190482 पर कॉल आया। आरोपी ने परिवादी को शीघ्र ही आने को कहा। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पंचायत समदड़ी की तरफ रवाना हुए। परिवादी श्री नरेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9610190482 से आरोपी विजय कुमार के मोबाईल नम्बर 8094240540 पर वार्ता कर आरोपी के उपस्थिति ज्ञात की गई तो, आरोपी ने परिवादी को बालोतरा चौराया समदड़ी पर आने को कहा। इसी दौरान आरोपी विजय कुमार का फोन परिवादी के फोन पर आया कि परिवादी को शीघ्र ही बुलाया है।

तत्पश्चात समय 02.10 पी.एम.पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता के बालोतरा बस स्टेशन चौराया समदड़ी पहुंचे। परिवादी को वाहन से उतार कर आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्ड ऑन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशी लेन देन हेतु बालोतरा बस स्टेण्ड चौराया समदड़ी के लिए रवाना किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता को मामूर कर अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी श्री नरेश कुमार तथा आरोपी श्री विजय कुमार के मध्य होने वाले रिश्वती राशी के लेन देन को देखने तथा होने वाली वर्तालाप को सुनने का प्रयास करने तथा आरोपी पर निगरानी रखने की हिदायत दी एवं परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने में व्यस्त रहे।

तत्पश्चात समय 02.17 पी.एम. पर हमरायान मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री नरेश कुमार ने बालोतरा बस स्टेशन चौराया समदड़ी से रेल्वे स्टेशन समदड़ी की तरफ जाने वाली रोड़ पर करीब 100 फिट की दूरी पर स्थित मुस्कान ऑटो इलेक्ट्रीकल की दुकान के आगे खड़ी कार एस-क्रॉस आरजे 39 सीए 2840 के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से रिश्वती राशि के लेन-देन के पश्चात उक्त वाहन के पास खड़े रहकर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फैर कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर रवाना होकर मुस्कान ऑटो इलेक्ट्रीकल की दुकान के आगे खड़ी कार एस-क्रॉस आरजे 39 सीए 2840 के पास खड़े परिवादी श्री नरेश कुमार के पास पहूंचे। पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री नरेश कुमार से प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री नरेश कुमार ने अपने पास खडी कार एस-क्रॉस आरजे 39 सीए 2840 की ड्राईवर शीट पर बैठा व्यक्ति अपने हाथ में कुछ 500-500 रुपये के नोट गिन रहा था, की तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी है, जिन्होने मेरे से अभी-अभी मांग कर 10,000 रुपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिन रहे है। नोट अभी भी इनके हाथ में ही रखे हुए है। जिस पर मन् अरविन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर नें अपना परिचय देते हुए तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप-दल के सदस्यों का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विजय कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, जाति माली, उम्र 48 साल, निवासी मालियों का वास गोरखा चौक, समदड़ी, जिला बालोतरा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भलरी का बाड़ा, अतिरिक्त चार्ज अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री विजय कुमार के हाथ में रखे 500-500 रुपये के नोटों को गवाह श्री दिलीप कुमार से लिरवाये जाकर नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये होना पाया गया। गवाह को हिदायत दी गई कि उक्त नोट सील चिट होने तक संभालकर रखें। तत्पश्चात उक्त घटना स्थल आम बाजार होने तथा वाहनों का आवागमन अधिक होने की वजह से हाथ धोवन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टी से हाथ धोवन की कार्यवाही पुलिस थाना समदड़ी जिला बालोतरा पहूंच करने का निर्णय लेकर मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री नरेश कुमार एवं ट्रेप दल के सदस्यगण के आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी का दाहिना हाथ श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 व बांया हाथ श्री कालूराम कानि. नं. 477 से कलाईयों के उपर से पकड़वाये जाकर यथा-स्थिति में ट्रेप दल के निजी वाहन में बैठाया जाकर रवाना होकर पुलिस थाना समदड़ी के लिए रवाना होकर वक्त 02.30 पी.एम. पर पुलिस थाना समदडी पहूंचे। पुलिस थाना समदड़ी के संतरी को अपना और हमरायान का परिचय देकर निर्देशित किया जाकर पुलिस थाना का एक कक्ष खुलवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान बमय आरोपी श्री विजय कुमार के खोले गये कक्ष में प्रवेश हुए तथा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री विजय कुमार से परिवादी को पहचानने बाबत् पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि यह नरेश कुमार है। जिनके ग्राम पंचायत अम्बां का बाड़ा में कोरोना काल के दौरान कोरोनटाईन में रखने हेतु कॉवीड सेन्टर में की गई टेन्ट एवं टेन्ट के सामन की व्यवस्था के बकाया बिलों के

भुगतान हेतु ग्रामा पंचायत अम्बां का बाड़ा में आना जाना होने से पहचानता हुं। परिवादी श्री नरेश कुमार से आज मुस्कान ऑटो इलेक्ट्रीकल की दुकान समदड़ी के आगे खड़े अपने वाहन में 10,000 रूपये लेने बाबत् पुछा गया तो आरोपी श्री विजय कुमार ने बताया कि श्री नरेश कुमार के बकाया बिलों में से 30,000 रूपये पंचायत के मद से नरेश कुमार के खाते में जमा करवाये थे, जिसमें से 10,000 रूपये मैंने मीठाई के नाम पर मांगे थे तथा बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में 10,000 रूपये नरेश कुमार से लिए है, उक्त राशी गिन ही रहा था कि आप लोग आ गए, साहब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने ये 10,000 रुपये नरेश कुमार से स्वयं के लिए ही लिए है। आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री नरेश कुमार के बकाया बिल वाउचर इत्यादी दस्तावेज के बारे में पुछा गया तो, आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा में रखी अलमारी में रखना तथा अलमारी की चाबी स्वयं के पास होना बताया। बकाया बिलों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पहुंच जरिए फर्द जब्ती दस्तावेज के जब्त करने का निर्णय लिया गया। उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार ने आरोपी श्री विजय कुमार के उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे स्वयं के महादेव टेन्ट हाउस बस स्टेण्ड लाखेटा जिला बाड़मेर के नाम से फर्म है। उक्त फर्म से मैंने वित्तिय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में मरिजों को कॉरनटाईन में रखने हेतु फर्म से टेन्ट व्यवस्था, जल, बर्तन, बिस्तर, पलंग, पानी का केम्पर, भट्टी, ट्रैक्टर इत्यादी की व्यवस्था की थी। जिसके बिल की राशी करीब 1,40,000 रूपये के बिल वाउचर तैयार कर ग्राम पंचायत अम्बां का बाड़ा में भुगतान हेतु पेश किए थे। मुझे समय-समय पर करीब 60,000 रूपये का भुगतान प्राप्त हो चुका था। बकाया भुगतान करीब 80,000 रूपये प्राप्त करना था। उक्त भुगतान की एवज में श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहे थे। जिस पर दिनांक 18.08.2023 को तयशुदा रिश्वती राशि 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) आज मेरे से मुस्कान ऑटो इलेक्ट्रीकल की दुकान समदड़ी के आगे खड़ी कार एस-क्रॉस आरजे 39 सीए 2840 में श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ने मांग कर प्राप्त कर गिन रहे थे, तब मैंने उक्त स्थान से ट्रेपपार्टी को देखकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। प्रक्रिया अनुसार हाथ-धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पुलिस थाना समदड़ी में प्लास्टीक के बड़े डिस्पोजल दो गिलास मंगवाई जाकर उक्त दोनों गिलासों में पुलिस थाना समदड़ी में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोंनो गिलासों मे पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त दोंनो गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात प्लास्टिक एक डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक की दूसरी डिसपोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री विजय कुमार के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच.2 अंकित किया गया। उपयोग में लिए गए दोनों प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किए गए। तत्पश्चात रिश्वती राशि सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप कुमार को पूर्व में सुपुर्द करवाई गई थी, उक्त रिश्वती राशि को पुनः गिनवाया जाकर पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री हीरालाल को सुपुर्द कर बरामदा रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये (अक्षरे दस हजार रुपये) के नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो पूर्व मे तैयार शुदा फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहू मिलान होना पाया गया।

उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 10,000 रूपये (अक्षरे दस हजार रुपये) को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाया जाकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विजय कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप कुमार से लिवाई गई तो आरोपी श्री विजय कुमार के पास से एक सेमसंग कम्पनी गलेक्सी 32 का पुराना इस्तेमाली मोबाईल पाया गया जिसके नम्बर 8094240540 का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री नरेश कुमार एवं आरोपी श्री विजय कुमार के मध्य उक्त मामले से संबंधीत इनकमिंग एवं आउट गोंईग कॉल होना पाई गई। उक्त मोबाईल आरोपी श्री विजय कुमार को पुन: सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री नरेश कुमार को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किए गए डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर के सुना गया तो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया।

संपूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ की जाकर वक्त 04.30 पीएम पर सम्पन्न हुई। दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। उपरोक्त कार्यवाही मे लिये गये प्रादर्शों एवं बरामद की गई

रिश्वती राशी को सील मोहर करने में प्रयुक्त में ली गई पीतल की सील मोहर का नमूना अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की जाकर तथा संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण उक्त फर्द में अंकित है।

तत्पश्चात समय 04.35 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता व दस्तायाब शुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी, जिला बालोतरा मय मय हाथ धोवन प्रक्रिया के सैम्पल प्रादर्श मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 व एल.एच.1 व एल.एच.2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी दस हजार रूपये कपड़े की थैली में सील्ड मोहर, प्रकरण की पत्रावली मय मुर्तिब फर्दात् एवं डिजीटल टेप रिकॉर्ड, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के निजी व सरकारी वाहन से घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु पुलिस थाना समदड़ी से रवाना हुआ।

तत्पश्चात समय 04.45 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा बालोतरा बस स्टेशन चौराया समदड़ी से रेल्वे स्टेशन समदड़ी की तरफ जाने वाली रोड़ पर करीब 100 फिट की दूरी पर स्थित मुस्कान ऑटो इलेक्ट्रीकल की दुकान के आगे पहुंच हमरायान मौतबीरान श्री दिलीप कुमार एवं श्री हीरालाल के रूबरू परिवादी श्री नरेश कुमार की निशादेही से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर, फर्द नजरी नक्शा मौका एवं हालात मौका पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितगण से हस्ताक्षर करवा कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। विस्तृत हालात फर्द में दर्ज है।

तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता व दस्तायाब शुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी, जिला बालोतरा मय मय हाथ धोवन प्रक्रिया के सैम्पल प्रादर्श मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 व एल.एच.1 व एल.एच.2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी दस हजार रूपये कपड़े की थैली में सील्ड मोहर, प्रकरण की पत्रावली मय मुर्तिब फर्दात् एवं डिजीटल टेप रिकॉर्ड, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के निजी व सरकारी वाहन से वांछित दस्तावेजात बिल एवं वाउचर की प्रतियां जब्त करने हेतु ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा को रवाना हुआ।

तत्पश्चात समय 05.45 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी पहुंचा। यहां श्री विपिन पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी (प्रशिक्षु) ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा उपस्थित मिले। हमरायान मौतबीरान के रुबरु आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा ने ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा में रखी अलमारी का ताला खोल कर परिवादी श्री नरेश कुमार के फर्म महादेव टेन्ट हाउस बस स्टेण्ड लाखेटा (कोटड़ी), जिला बाड़मेर से संबंधित बिल वाउचर, केस बुक प्रस्तुत की। जिसका अलोकन कर जरिए फर्द जब्ती दजस्तावेजात जब्त कर शामिल पत्रावली किए तथा पृथक से फर्द जब्ती मुर्तिब कर संबंधितगण से हस्ताक्षर करवा कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। विस्तृत हालात फर्द में दर्ज है।

तत्पश्चात समय 06.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता व दस्तायाब शुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी. जिला बालोतरा मय मय हाथ धोवन प्रक्रिया के सैम्पल प्रादर्श मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 व एल.एच.1 व एल.एच.2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी दस हजार रूपये कपड़े की थैली में सील्ड मोहर, जब्त शुदा दस्तावेजात एवं प्रकरण की पत्रावली मय मुर्तिब फर्दात् एवं डिजीटल टेप रिकॉर्ड, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के निजी व सरकारी वाहन भ्र.नि. ब्यूरो कार्यालय जालोर को रवाना हुआ।

तत्पश्चात समय 07.45 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता व दस्तायाब शुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा पं.सं. समदड़ी, जिला बालोतरा मय मय हाथ धोवन प्रक्रिया के सैम्पल प्रादर्श मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 व एल.एच.1 व एल.एच.2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी दस हजार रूपये कपड़े की थैली में सील्ड मोहर, जब्त शुदा दस्तावेजात एवं प्रकरण की पत्रावली मय मुर्तिब फर्दात् एवं डिजीटल टेप रिकॉर्ड, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के भ्र.नि. ब्यूरो कार्यालय जालोर पहुंचा। आरोपी श्री विजय कुमार की निगरानी हेतु हैड कानि. सुखाराम 96 व कानि. कालूराम 477 को हिदायत कर मामूर किया गया।

तत्पश्चात समय 07.55 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री नरेश कुमार के दिनांक 18.08.2023 को परिवादी व आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत की राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री गुलाब सिंह कानि. नं. 140 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उपरोक्त वार्तालाप को लेपटॉप के माध्यम से दो पेन-ड्राईव मे अपलोड करवाई जाकर एक पेन-ड्राईव को मूल मानते हुए एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील चेपा कर थैली पर संबंधीतगण

के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी पेन-ड्राईव को डब मानते हुए खुली रखी गई। आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं की आवाज परिवादी श्री नरेश कुमार द्वारा की गई।

तत्पश्चात समय 10.25 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री नरेश कुमार के आज दिनांक 21.08.2023 को परिवादी व आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन के दौरान हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री गुलाब सिंह कानि. नं. 140 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन की वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को लेपटॉप के माध्यम से दो पेन-ड्राईव मे अपलोड करवाई जाकर एक पेन-ड्राईव को मूल मानते हुए एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील चेपा कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी पेन-ड्राईव को डब मानते हुए खुली रखी गई। आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं की आवाज परिवादी श्री नरेश कुमार द्वारा की गई। रात्री हो जाने से परिवादी श्री नरेश कुमार एवं दोनों स्वतंत्र गवाहन को रात्री मुकीम कार्यालय हाजा में रहने हेतु हिदायत दी गई।

तत्पश्चात समय 10.45 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे फर्दात् के मुताबिक वजह सबूत मालखाना आईटम बरामदा रिश्वत की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा 10,000 रुपये सफेद कपडे की थैली मे सील सुदा मार्क M एवं आरोपी श्री विकास कुमार ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने व बांये हाथ के अंगूलियां व अंगूठे का धोवन की सील सुदा शीशीया क्रमशः मार्क आर.एच.1, आर.एच.2 व एल.एच.1, एल.एच.2 व रिश्वत की राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत की राशि के लेन देन की वार्तालाप की एक-एक मूल पेन-ड्राईव सील सुदा, एक-एम डब पेन-ड्राईव खुली हालात में मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय हाजा में रखी अलमारी में सुरक्षार्थ रखवाए जाकर ताला लगवाया जाकर चाबी स्वयं के पास रखी गई।

तत्पश्चात समय 11.05 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा आरोपी श्री विजय कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, जाति माली, उम्र 48 साल, निवासी मालियों का वास गोरखा चौक, समदड़ी, जिला बालोतरा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भलरी का बाड़ा, अतिरिक्त चार्ज अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम, 2018 से नियमानुसार आगाह कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री विजय कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री दिलीप कुमार वरिष्ट सहायक से लिरवाई गई तो पहने हुए पारचात के अलावा उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाये गये एवं न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री विजय कुमार की गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र श्री राहुल को उसके मोबाईल नंबर 7014634523 पर दी गई।

तत्पश्चात समय 11.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाने हेतु पृथक-पृथक तहरीर लेकर जरीये वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. 83 के रवाना हुआ।

दिनांक 22.08.2023 को समय 00.40 एएम पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 व वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी के राजकीय अस्पताल जालोर पहूंच कर आरोपी श्री विजय कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ताबाद रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहूंच आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी को सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाया जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर रवाना होकर भ्र.नि. ब्यूरो जालोर पहुंचा।

तत्पश्चात समय 08.30 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर लेने हेतु रवाना हुआ।

तत्पश्चात समय 09.10 एएम पर फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर लेकर भ्र.नि. ब्यूरो जालोर हाजर आया।

तत्पश्चात समय 09.15 एएम पर पूर्व में पाबंद शुदा श्री विपिन पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, (प्रशिक्षु) ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा कार्यालय हाजा उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार द्वारा अपना परिचय दिया जाकर श्री विपिन पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, (प्रशिक्षु) का

परिचय प्राप्त कर उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया जाकर रूबरू स्वतंत्र गवाहन के उक्त ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा में दिनांक 18.08.2023 को रिश्वत की राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 21.08.2023 को रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्ताएं जो डब पैन ड्राईव में लेपटॉप के माध्यम से सुनाये गये। तो आवाज पहचानकर्ता ने सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त वार्ताओं में रिकार्ड वार्तालापों में आवाज श्री विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। तथा अन्य आवाज किसी दूसरे व्यक्ति है जिसे मैं नहीं पहचानता हूं। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर संबंधितगण को पढ़कर सुनाई गई, जिसे सुन समझ सही होना मान संबंधितगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डब पैन ड्राईवज पुन: अलमारी में रखी जाकर लॉक लगा कर चाबी स्वयं के पास रखी।

तत्पश्चात समय 09.30 एएम पर उक्त ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध विजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा प.सं. समदड़ी, जिला बालोतरा में अब परिवादी श्री नरेश कुमार तथा गवाह श्री दिलीप कुमार वरिष्ठ लिपिक तथा हीरालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व श्री विपिन पाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, (प्रशिक्षु) ग्राम पंचायत अम्बों का बाड़ा की आवश्यकता नहीं होने से रूकसत किया जात है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विजय कुमार माली पुत्र श्री शंकरलाल माली जाति माली उम्र 48 साल निवासी मालियों का वास गोर का चोक समदडी जिला बालोतरा हाल ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भलरो का बाडा अतिरिक्त चार्ज अम्बो का बाडा पंचायत समिति समदडी जिला बालोतरा द्वारा परिवादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाराम जाति देवासी निवासी ग्रामि अम्बो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा मो.नं. 9610190482 स्वयं के महादेव टेन्ट हाउस बस स्टेण्ड लाखेटा जिला बाडमेर के बकाया भुगतान करीब 80,000/- रुपये के भुगतान करने की एवज में 10,000/- रुपये रिश्वत के रुप में मांग कर प्राप्त करना उपरोक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी का प्राप्त सेवा विवरण अनुसार नाम विजय कुमार माली है।

अतः आरोपी श्री विजय कुमार माली पुत्र श्री शंकरलाल माली जाति माली उम्र 48 साल निवासी मालियों का वास गोर का चोक समदडी जिला बालोतरा हाल ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भलरो का बाडा अतिरिक्त चार्ज अम्बो का बाडा पंचायत समिति समदडी जिला बालोतरा के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अरविन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त आरोपी श्री विजय कुमार माली पुत्र श्री शंकरलाल माली, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भलरों का बाड़ा, अतिरिक्त चार्ज अम्बों का बाड़ा, पंचायत समिति समदड़ी जिला बालोतरा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 225/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2611-14 दिनांक 22.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

22.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।